


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..864 / 2014जिला.....अजमेर.....

उनवान - श्री सुरेश चन्द खीवसंरा पुत्र श्री अमर चन्द व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिए
उपपंजीयक द्वितीय, अजमेर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.06.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री राजीव चौधरी -सदस्य</u></p> <p>निगरानीकर्ता अभिभाषक ने द्वारा उक्त निगरानी को विद्झा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा कायम मांग राशि जमा करा दी गई है, जिसके फलस्वरूप निगरानीकर्ता उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त निगरानी जरिये विद्झा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।</p> <p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर के अजमेरा ने प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 864/2014/अजमेर जरिये विद्झावल (Withdrawl) खारिज की जाती हैं।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">  13/06/17 (राजीव चौधरी) सदस्य </div>	